

FORM NO. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) आसीन्द, जिला भीलवाडा

श्रीराम

बनाम सरकार

किस्म मुकदमा-----इजराय प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या 01/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.01.2022	बाद जांच प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या-----51/2016 अनवान----श्रीराम पि.बालू गूर्जर --बनाम--राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक---12.11.2021--को निर्णय / डिक्री पारित होने से डिक्रीदार प्रार्थी /अधिवक्ता डिक्री की पालना कराना चाहता है तथा प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त शुदा नहीं होने से डिक्री की प्रमाणित प्रति तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जाकर अन्य किसी न्यायालय का स्थगन न होतो मुताबिक डिक्री पालना किये जाने हेतु लिखा जावें। मिसल वास्ते पालना रिपोर्ट दिनांक -----24.01.2022 को पेश हो।  सहायक कलक्टर(S.D.O.)आसीन्द	

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रेवे.कोर्ट / 2022 / 144

दिनांक -04.01.2022-

प्रेषित:- तहसीलदार आसीन्द
जिला भीलवाड़ा

विषय:- इजराय प्रकरण संख्या----01/2022 में डिक्री की पालना कराने बाबत।

अनवान -श्रीराम पि.बालू गूर्जर नि.हेमा का खेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

बनाम---राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

विषयान्तर्गत उपरोक्त अनवानी प्रकरण से सम्बन्धित न्यायालय हाजा के राजस्व प्रकरण संख्या -51/2016----में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2021 -की प्रमाणित फोटो प्रति इसी के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है। जिसमें किसी उच्च / सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो मुताबिक डिक्री अनुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के इस न्यायालय में पेश करावें। डिक्री की पालना रिपोर्ट नियत समयावधि में नहीं भिजवाने पर सिविल प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रभाव में लायी जावेगी।

संलग्न:- उक्तानुसार निर्णय की प्रति


सहायक कलक्टर (S.D.O.)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा